# मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-3

## संक्षिप्त कार्य विवरण

**पत्रक भाग-एक**

**बुधवार, दिनांक 25 फरवरी, 2004 (फाल्गुन 6, 1925)**

**विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

## 1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 24 तारांकित प्रश्नों में से 8 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में 21 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य छिन्दवाड़ा जिले में भूख से हुई मौत की घटना पर दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग करते हुए गर्भगृह में आ गये)

## 2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य ने रीवा जिले में निराश्रित, विधवा, विकलांग एवं अन्य पेंशन न मिलने,

(2) श्री गिरीश गौतम, सदस्य ने रीवा जिले के सर्किल गढ़ के विभिन्न ग्रामों से लगी जंगल की जमीन का सीमांकन न कराये जाने,

(3) श्री गोविन्द सिंह पटेल,सदस्य ने नरसिंहपुर जिले के सिंचाई नल कूपों का रख रखाव न होने,

(4) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र अंतर्गत पिपराही में पेयजल संकट होने,

(5) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य ने कटनी नगर में संचालित अशासकीय डिग्री कालेज में बी.एड. के छात्रों से अधिक राशि लेकर प्रवेश दिये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(6) डॉ. सुनीलम्, सदस्य की बैतूल जिले में दलितों को जमीन खरीदने हेतु राशि न दिये जाने,

(7) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य की सागर जिले में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत राशि आवंटन में अनियमितता होने,

(8) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य की होशंगाबाद जिले में होशंगाबाद-बाबई के मध्य तवा नदी पर बना पुल छतिग्रस्त होने, तथा

(9) श्री गजराजसिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले के सुमावली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत एक युवक को हिरण द्वारा घायल किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

## 3. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री बाबूलाल गौर, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अध्यादेश, 2004 (क्रमांक 1 सन् 2004) पटल पर रखा.

(श्री रामलखन शर्मासे डॉ. सुनीलम्, श्री विजयबहादुर सिंह बुंदेला, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा तथा प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्य प्रदेश के झाबुआ में साम्प्रदायिक दंगे की घटना तथा छिन्दवाड़ा जिले में भूख से मौत होने संबंधी घटना पर दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग करते हुए गर्भगृह में आकर धरने पर बैठ गये)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा प्रदेश के झाबुआ में हुए साम्प्रदायिक दंगे की घटना एवं छिन्दवाड़ा जिले में भूख से हुई मौत की घटना पर दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर शासन द्वारा चर्चा न कराये जाने के विरोध में सदन की कार्यवाही का दिन भर के लिए बहिर्गमन किया गया)

## 4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 की उपधारा (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003,

(2) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, ऊर्जा मंत्री ने

(क) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा-75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003, तथा

(ख) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा-69 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 2000-2001,

(3) श्री कैलाश चावला, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित भोपाल का 40 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002,

(4) डॉ. ढालसिंह बिसेन, वन मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 28वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2002-2003,

(5) श्री बद्रीलाल यादव, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा-19 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संबंधी दशम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003, तथा

(6) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम की 48 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2002-2003, पटल पर रखे.

## 5. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के जुलाई-अगस्त, 2003 सत्र में पारित मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 30 सन् 2003) को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 दिसम्बर, 2003 को प्राप्त हो गई है.

## 6. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री गजराज सिंह सिकरवार, रामनिवास रावत, उम्मेद सिंह बना, सदस्य ने चंबल संभाग के जिलों में चंबल नहर से कृषकों को सिंचाई हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अनूप मिश्रा, राज्यमंत्री जल संसाधन ने इस पर वक्तव्य दिया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगण झाबुआ एवं छिन्दवाड़ा की घटनाओं पर गर्भगृह से अध्यक्ष महोदय के अनुरोध पर वापस अपने आसन पर चले गये)

(2) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य ने सीधी जिले के जियावन थाना प्रभारी द्वारा आदिवासियों को प्रताड़ित किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश मुवेल, राज्यमंत्री गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

## 7. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 23 फरवरी, 2004 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों तथा अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए उनके सामने अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

| क्रमांक | शासकीय विधेयक/अन्य कार्य | निर्धारित समय |
|---|---|---|
| 1. | मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 1 सन् 2004) | 30 मिनट |
| 2. | मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2004 (क्रमांक 2 सन् 2004) | 1 घन्टा |
| 3. | मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध विधेयक, 2004 (क्रमांक 3 सन् 2004) | 2 घन्टे |
| 4. | वर्ष 2004-2005 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा | 2 घन्टे |
| 5. | वर्ष 2003-2004 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक पर चर्चा. | 2 घन्टे |

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हे सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

## 8. सभापति तालिका

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री मती सुधा जैन
(2) श्री जयंत मलैया
(3) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा
(4) श्री हिम्मत कोठारी
(5) श्री इन्द्रजीत कुमार
(6) श्री बुन्देला विजय बहादुर सिंह

## 9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री बद्रीलाल यादव, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 1 सन् 2004), तथा

(2) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन तथा विधिमान्यताकरण) विधेयक, 2004 (क्रमांक 2 सन् 2004),

सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किये।

## 10. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव एवं संशोधनों पर चर्चा

श्रीमती सुधा जैन, सदस्य ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना भाषण प्रारम्भ कर पूर्ण किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में मेरे पास 18 सदस्यों के संशोधनों की सूचना प्राप्त हुई है. उनमें से जो संशोधन नियमानुसार नहीं थे, उन्हें मैंने अग्राह्य कर दिया है.

संशोधन बहुत बड़े-बड़े हैं, मैं पूरे संशोधनों को नहीं पढ़ूंगा. केवल उनके प्रस्तावक के नाम और संशोधन क्रमांक ही पढ़ूंगा. जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित होंगे उनके संशोधन प्रस्तुत हुए माने जायेंगे.

| सदस्य का नाम | संशोधन क्रमांक |
|---|---|
| श्री रामलखन शर्मा | 1 |
| श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा | 2 |
| डॉ. आई.एम.पी. वर्मा | 6 |
| श्रीमती सरोज बच्चन नायक | 13 |
| श्री हरीवल्लभ शुक्ला | 15 |
| डॉ. सुनीलम् | 18 |

राज्यपाल के अभिभाषण पर श्रीमती सुधा जैन, सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री रामलखन शर्मा

(2) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा

(भाषण अपूर्ण)

(1.00 बजे से 2.30 बजे तक अन्तराल)

सभापति महोदया (श्रीमती सुधा जैन) पीठासीन हुई.

श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

(3) श्री लाल सिंह आर्य
(4) श्री किशोरीलाल वर्मा
(5) श्री धरमू राय
(6) डॉ.. आई.एम.पी. वर्मा
(7) श्री ज्ञान सिंह
(8) श्री ओमप्रकाश खटीक
(9) श्री हरीवल्लभ शुक्ला
(10) डॉ. सुनीलम्
(11) श्री अंतर सिंह आर्य
(12) श्री दीवान सिंह पटेल
(13) श्री नानालाल पाटीदार
(14) श्री मनमोहन शाह "बट्टी"
(15) श्री दुर्गालाल विजय
(16) श्री उमाशंकर गुप्ता

(चर्चा अपूर्ण)

5.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 26 फरवरी, 2004 (फाल्गुन 7, 1925) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.